

फॉर्म 2211/9C.
दि. 2.9.2020
9/C

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0 प्रभाग, आगरा ।

विषय: आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ — पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) (सैद्धांतिक स्वीकृति) लखनऊ का पत्रांक संख्या- 8बी/यू.पी./06/60/2018/एफ.सी./366 दिनांक 18.10.2019

क्रम संख्या	शर्तें	अनुपालन की स्थिति
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवतन वनभूमि अर्थात् (2.45X2=4.9ha) 4.9 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2, के अनुपालन में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवतन वनभूमि अर्थात् (2.45X2=4.9 ha) 4.9 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में 30.835 रुपये जमा करा दी गयी है जिसकी ई-रसीद की छायाप्रति संलग्न कर दी गयी है।
3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 3(क), के अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in ij e-payment portal के माध्यम से निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि उपरोक्तानुसार धनराशि 15.337 लाख रुपये मात्र कैम्पा नई दिल्ली में जमा करा दी गयी है।
	(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	शर्त संख्या 3, (ख) के अनुपालन में जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण संलग्न है।

	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 3, (ग) के अनुपालन में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग आगरा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि यदि इस अवधि में संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु मॉग की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि का भुगतान निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जाएगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4, के अनुपालन में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग आगरा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन हेतु सीमा स्तम्भ व इन्डीकेटर पीलर की धनराशि का भुगतान निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखी जायेगी।
5	भू-क्षरण एवं जल-जमाव को रोकने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कारवाई की जाएगी।	शर्त संख्या 5, के अनुपालन में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भू-क्षरण एवं जल-जमाव को रोकने के लिए निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कारवाई की जाएगी।
6	पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र यदि आवश्यक हो, प्राप्त की जाएगी।	शर्त संख्या 6, के अनुपालन में पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं होता है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक मक डिस्पोजल परियोजना व्यय पर किया जाएगा।	शर्त संख्या 7 के अनुपालन में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा मक डिस्पोजल परियोजना व्यय पर किया जाएगा।
8	प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 8 के अनुपालन में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
9	आवागमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में नए मार्ग के निर्माण नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 9 के अनुपालन में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि आवागमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में नए मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा।

10	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 10 के अनुपालन में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
11	इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में mailto:lwpuuk@izek.k सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	शर्त संख्या 11 के अनुपालन में निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में mailto:lwpuuk@izek.k सूचना/प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या 12 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

2
अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा

(नरेश कुमार)

अधिसासी अभियन्ता
नि.ख.-1 (सा.वि.) लो.नि.वि.
आगरा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है कि प्रस्तावित स्थल पर वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा

(नरेश कुमार)

अधिशाली अभियन्ता
नि. ख. -1 (ता. द्वि.) लो. नि. वि.
आगरा

शर्त संख्या 2, 3 (क), (ख)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण की धनराशि रू0 4617200.00 ई-चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गयी है एवं इसका चालान भी संलग्न कर दिया गया है।

क्रम सं०	विवरण/मद	धनराशि (रू0में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू.टी.आर
1	2	3	4	5	6
1	शर्त संख्या-2 प्रस्तावित सथल पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव/(सी0ए0)	3083500.00 रूपये	एन.ई.एफ. टी.	26.08.2020	CA UTR No- RBI2402004580269
2	शर्त संख्या-3 (क), (ख) के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 2.45 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे० की दर से)/(एन0पी0वी0)	1533700.00 रूपये			CA UTR No- RBI2402004580268
	योग-	4617200.00 रूपये			NPV UTR No- RBI2402004580271

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा

(नरेश कुमार)

अधिसासी अभियन्ता

नि. ख. -1 (क. दि.) लोक निर्माण वि.

शर्त संख्या 3(ग)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग जमा की जाएगी।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा

(नरेश कुमार)

अधिशाली अभियन्ता

नि.सं.-1 (ल.नि.वि.) लो.नि.वि.

आगरा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है कि भू-क्षरण एवं जल-जमाव को रोकने के लिए निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कारवाई की जाएगी।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा

(नरेश कुमार)

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 (त. टि.) लो. नि. वि.
आगरा

शर्त संख्या 7

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है कि मक डिस्पोजल परियोजना व्यय पर किया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा

(नरेश कुमार)

अधिशाली अभियन्ता
नि. ख.-1 (ता. द्वि.) लो. नि. वि.
आगरा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है कि प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा

(नरेश कुमार)

अधिशाली अभियन्ता
नि. ख. -1 (ता. डि.) लो. नि. वि.
आगरा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है कि आवागमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में नए मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा

(नरेश कुमार)

अधिशाली अभियन्ता
ख. -1 (ता. टि.) लो. नि. वि.
आगरा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र


प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है कि निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा

(नरेश कुमार)

अधिशाली अभियन्ता

 नि.ख. -1 (ता. दि.) लो.नि.वि.
आगरा

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उलंघन
सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा

(नरेश कुमार)

अधिसासी अभियन्ता
खण्ड-1 (ता. टि.) लो. नि. वि.
आगरा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यकरण किये जाने हेतु वृक्ष पातन की अनुमति हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष आई0ए0संख्या 19749/2018 विचाराधीन है। मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुमति/निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त ही वृक्षों के पातन की कार्यवाही की जायेगी।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा



(नरेश कुमार)

अधिसासी अभियन्ता
नि. ख. -1 (क. वि.) लो. नि. वि.
आगरा

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रस्तावक विभाग निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग जिला-आगरा में प्रस्तावित 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है कि वन विभाग द्वारा बाउण्ड्री पिलर के मद में मॉगी गई धनराशि रू0 9,10,000.00 निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जाएगी।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नरेश कुमार)

अधिसूची अधिसूची

निर्माण विभाग

नि0ख0-1(ता0ट्रि0)लो0नि0वि0.

आगरा

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/24614/2017 ./viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/24614/2017 Forest Land Proposed to be diverted for Six Lane Road Widening from Avantibal Chauraha to Rauhata Canal Road(City Part of Agra-Gwalior Road) CH.0.00 to 6.500 in Agar District	ROAD246142017568	6124614568	17 Oct 2019	CA: 3083500/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety : Addl PA : 0/- Zone: Other Charges 0/- NPV: 1533700/ Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 4617200/-	paid	Fund Demand Verified by : 21 Aug 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 23 Aug 2020 Transaction Date : 26 Aug 2020	Demand Letter ./writereaddata/Fundpdf/811201271214YBVOAAgracd1pwd.pd Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD246142017568)




(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

MY GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions (https://parivesh.nic.in/TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (https://parivesh.nic.in/Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (https://parivesh.nic.in/CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (https://parivesh.nic.in/HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (https://parivesh.nic.in/Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (https://parivesh.nic.in/Disclaimer.aspx) | Contact Us (https://parivesh.nic.in/contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

4/9

(नरेश कुमार)
 अधिसूची अभियन्ता
 2nd AE नं. 1 (क. वि.) लो. नि. वि.
 आगरा

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 23-08-2020	
Agency Name.	PWD AGRA
Application No.	6124614568
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/60/2018
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	170 Kariappa RoadAgra
Amount(in Rs)	4617200/-
Amount in Words :Forty-Six Lakh Seventeen Thousand Two Hundred Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150906124614568 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 23-08-2020	
Agency Name.	PWD AGRA
Application No.	6124614568
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/60/2018
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	170 Kariappa Road Agra
Amount(in Rs)	4617200/-
Amount in Words :Forty-Six Lakh Seventeen Thousand Two Hundred Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150906124614568 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

(नरेश कुमार)
अधिसूची अभियन्ता
नि.ख.-1 (न.दि.) सो. नि. वि.
आरपी

Debit Amount							
SrNo.	Token No.	Bill Reg No.	Name	Debit Amt.			
1	0820055601	C184800117	AGRA	653500			
Credit Amount							
SrNo.	Beneficiary Id	Name	IFSC Code	UTRNO.	Status	Payment Date	Credit Amt.
1	B080000274696	UTTAR PRADESH CAMPA	CORP0000371	RBI2402004580269	BOOK	2020-08-26	653500
TOTAL							653500

Debit Amount							
SrNo.	Token No.	Bill Reg No.	Name	Debit Amt.			
1	0820055600	C184800116	AGRA	2430000			
Credit Amount							
SrNo.	Beneficiary Id	Name	IFSC Code	UTRNO.	Status	Payment Date	Credit Amt.
1	B080000274696	UTTAR PRADESH CAMPA	CORP0000371	RBI2402004580268	BOOK	2020-08-26	2430000
TOTAL							2430000

Debit Amount							
SrNo.	Token No.	Bill Reg No.	Name	Debit Amt.			
1	0820055604	C184800120	AGRA	1533700			
Credit Amount							
SrNo.	Beneficiary Id	Name	IFSC Code	UTRNO.	Status	Payment Date	Credit Amt.
1	B080000274696	UTTAR PRADESH CAMPA	CORP0000371	RBI2402004580271	BOOK	2020-08-26	1533700
TOTAL							1533700

4/5
2

(नरेश कुमार)

अधिसूची अधिवक्ता

TotV-Pr. 1/172000